



2026:AHC:54869

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7131 वर्ष 2026

मो. इस्लाम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सुरेश कुमार मौर्य

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय सं. - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरूण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री सुरेश कुमार मौर्य, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री रोशन कुमार सिंह, राज्य के लिए ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 43 वर्ष 2025 में बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन- शिवपुर, जिला- वाराणसी की धारा- 305 (ए), 331 (4), 317 (2) के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था और बाद में, घटना के चार दिनों के बाद, आवेदक के कब्जे से 9,69,500/- रुपये के साथ-साथ सोने और चांदी के कुछ सामान बरामद किए गए हैं, हालांकि उपरोक्त वसूली न तो किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा देखी गई थी और न ही वसूली की वीडियोग्राफी की गई थी, जैसा कि बीएन की धारा 105 द्वारा आवश्यक था। इसलिए, पूरी वसूली झूठी है और लगाई गई है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक ने दो मामलों के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 13.02.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत मिल जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सका।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए और निचली न्यायालयों के समक्ष भीड़भाड़ वाली जेलों और आपराधिक मामलों के भारी लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए साथ ही **2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में रिपोर्ट किए गए **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के जनादेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **मोहम्मद इस्लाम** को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
- ii. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।
- iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।
- iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर जारी किया जाएगा, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित, जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति, संदर्भ में: स्वतः रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, 31.01.2023 को निर्णीत, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(न्यायमूर्ति अरूण कुमार सिंह देशवाल)

मार्च 18, 2026

एसए

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"